

## अध्याय XIX : संघ शासित क्षेत्र

### अण्डमान एवं निकोबार सचिवालय

#### 19.1 ₹24.00 करोड़ का अनियमित आहरण

**₹24.00 करोड़ की पूंजीगत योजनागत निधि का सा.वि.नि. के नियम 56 (1) के पूर्ण उल्लंघन में आहरण किया गया तथा मार्च 2013 से सरकारी खाते के बाहर रखा गया था।**

अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन (प्रशासन) ने एक 500 यात्री सह 150 टन माल जहाज के निर्माण हेतु भारती शिपयार्ड लि., मुंबई (शिपयार्ड) के साथ एक करार किया (मार्च 2012)। जहाज को सितम्बर 2014 तक सुपुर्द किया जाना था।

करार की शर्तों के अनुसार, भुगतान आठ किशतों में किया जाना था। वर्गीकरण समिति के सर्वेक्षक द्वारा जारी चरण प्रमाण-पत्र तथा भारतीय पोत परिवहन निगम<sup>1</sup> (भा.पो.नि.) द्वारा जारी चरण समाप्ति प्रमाण-पत्र सहित दस्तावेजीय प्रमाण प्रस्तुत करने पर शिपयार्ड को तीसरे चरण का भुगतान किया जाना था।

अभिलेखों ने प्रकट किया कि प्रथम दोनों चरण समाप्त थे तथा प्रशासन द्वारा भुगतान जारी किए गये थे। तथापि, यह पाया गया था कि भा.पो.नि. ने तीसरे चरण को प्रमाणित करने में अपनी असमर्थता व्यस्त की (फरवरी 2013) क्योंकि शिपयार्ड जहाज निर्माण संविदा के अनुसार सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असमर्थ था।

भा.पो.नि. से प्रमाणन के अभाव में तीसरे चरण हेतु ₹24.50 करोड़ की आवंटित राशि को वित्तीय वर्ष 2012-13 के भीतर अदा नहीं किया जाना चाहिए था, वह योजनागत योजना के अंतर्गत प्रशासन के पास पड़ी थी

<sup>1</sup> प्रशासन हेतु सलाहकार

(मार्च 2013)। अनुदानों अथवा विनियोग की पुर्वानुमानित बचतों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले वित्त मंत्रालय (वि.मं.) को अभ्यर्पित करना अपेक्षित था जैसा सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के नियम 56 (1) के तहत निर्धारित है। अभिलेखों के अनुसार, प्रधान सचिव, पोतपरिवहन ने तीसरे चरण के समापन के प्रति प्रमाणन में विलम्ब हेतु भा.पो.नि. को जिम्मेदार ठहराया (25 मार्च 2013) उसने आगे उपलब्ध निधियों में से ₹24.00 करोड़ के आहरण तथा उसे अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम (अ.नि.द्वी.ए.वि.नि.) के पास रखने का प्रस्ताव किया जिससे प्रशासन भा.पो.नि. से प्रमाणन की प्राप्ति के तुरंत पश्चात शिपयार्ड को तीसरे चरण का भुगतान जारी करने में समर्थ हो सके।

प्रस्ताव को (26 मार्च 2013) माननीय उपराज्यपाल द्वारा इस शर्त के तहत स्वीकृत किया गया था कि व्यय सा.वि.नि. मानदण्डों के अनुसार होना चाहिए।

₹24.00 करोड़ के आहरण तथा इसे अ.नि.द्वी.ए.वि.नि. के पास जमा कराने हेतु संस्वीकृति आदेश सा.वि.नि. 2005 के तहत समाविष्ट अग्रिमों का सारांश के नियम 75(1) का उल्लेख करते हुए जारी की गई थी जो इस मामले में असंगत थी क्योंकि अ.नि.द्वी.ए.वि.नि. के पास निधियों को अलग से रखे जाने का 'विशेष विभागीय उद्देश्यों हेतु सरकारी कर्मचारियों तथा अन्यो को अग्रिम' के साथ कोई संबंध नहीं था। वास्तव में ₹24.00 करोड़ का आहरण तथा सावधि जमा में रखे जाने हेतु अ.नि.द्वी.ए.वि.नि. को इसका प्रेषण सा.वि.नि. के उल्लंघन में किया गया था। फरवरी 2014 को निधि भारतीय स्टेट बैंक में अ.नि.द्वी.ए.वि.नि. के सावधि जमा खाते में पड़ी थी।

इस प्रकार, सा.वि.नि. के नियम 56(1) के पूर्ण उल्लंघन में पूंजीगत योजनागत निधि के अनियमित आहरण का परिणाम मार्च 2013 से ₹24.00 करोड़ का सरकारी स्रोत के बाहर पड़े रहने में हुआ।

मामला नवम्बर 2013 में मंत्रालय/विभाग को सूचित किया गया था। विभाग ने कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (मई 2014)।

## विद्युत विभाग

### 19.2 परिहार्य व्यय

विद्युत मांग के अवास्तविक परिप्रेक्ष्य के साथ मौजूदा बिजली उत्पादन क्षमता का आंकलन किए बिना तीन नए डी.जी. सेट के प्रापण के अविवेकहीन निर्णय के कारण 33 से लेकर 52 महीनों तक की अवधि के लिए पुराने डी.जी. सेट व्यर्थ पड़े रहे तथा ₹8.08 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

लघु अण्डमान उपप्रभाग, विद्युत विभाग, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन (प्रशासन) के पास सुनामी (दिसम्बर 2004) से पहले पांच 320 के.वी.ए. डीजल जनरेटर (डी.जी.) तथा एक 1000 के.वी.ए.<sup>2</sup> से 2.08 मैगावाट (मे.वा.)<sup>3</sup> की बिजली उत्पादन करने की क्षमता थी। इसके अतिरिक्त, दो 1000 के.वी.ए. डी.जी. सेट संस्थापित करने थे तथा एक 320 के.वी.ए. डी.जी. सेट की मरम्मत की जानी थी (दिसम्बर 2004)। दिसम्बर 2004 की सुनामी से सभी डी.जी. सेटों को क्षति हुई थी।

अभिलेखों से पता चला कि तीन 320 के.वी.ए. तथा एक 1000 के.वी.ए. डी.जी. सेटों की मरम्मत हो चुकी थी और जुलाई 2005 में संस्थापित किए जा चुके थे। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2005 में "पूर्ण रिकॉन विनिमय" योजना के अंतर्गत मूल उपकरण उत्पादक (मू.उ.उ.) द्वारा दो 1000 के.वी.ए. डी.जी. सेटों (जोकि संस्थापित किए जाने थे) की मरम्मत का कार्य किया जा रहा था। इस प्रस्ताव को प्रशासन द्वारा अप्रैल-मई 2005 में अनुमोदित किया गया था तथा परिणामस्वरूप, (अगस्त 2005) में मू.उ.उ. के साथ अनुबंध किया गया था। अभिलेखों से पता चला कि दिसम्बर 2007 में दोनों 1000

<sup>2</sup> किलो वोल्ट एम्पीयर

<sup>3</sup>  $\{(5 \times 320 \text{ के.वी.ए.} + 1 \times 1000 \text{ के.वी.ए.}) \times 0.8 \text{ विद्युत फैक्टर}\} / 1000 = 2.08 \text{ मे.वा.}$

के.वी.ए. डी.जी. सेटों को संस्थापित किया गया था। इस प्रकार, लघु अण्डमान की बिजली उत्पादन क्षमता जुलाई 2005 तथा दिसम्बर 2007 में क्रमशः 1.57<sup>4</sup> मे.वा. तथा 3.17<sup>5</sup> मे.वा. तक बहाल कर दी गई थी।

इसी बीच में, विद्युत मंत्रालय (वि.मं.) तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) की उच्च शक्ति दल ने अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (अ.नि.द्वी.स.) का दौरा किया (जनवरी 2005) और बिजली उत्पादन प्रणाली के पुर्नस्थापन तथा बहाल करने का कार्य राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (रा.ता.वि.नि.) को सौंप दिया। यह निर्णय लिया गया कि 12.75 मे.वा. की क्षमता वाले 15 डी.जी. सेटों को सभी सुनामी प्रभावित द्वीपसमूहों अर्थात् कच्छल द्वीपसमूह, रंगत घाटी, कार निकोबार और लघु अण्डमान में संस्थापित किया जाएगा। इनमें से, के.वि.प्रा. तथा वि.मं. द्वारा तीन मे.वा. की भविष्य में बिजली की मांग प्रक्षेपित किए जाने के पश्चात लघु अण्डमान के लिए तीन नए, एक मे.वा. डी.जी. सेट अनुमोदित किए गए थे। तदनुसार, मार्च 2006 में तीन, एक मे.वा. (1250 के.वी.ए.) डी.जी. सेटों के संस्थापन एवं प्रवर्तन हेतु आदेश किए गए थे तथा सुनामी पुर्नवास कार्यक्रम (सु.पु.का.) के अंतर्गत जून 2006 तथा दिसम्बर 2006 के बीच रा.ता.वि.नि. को विद्युत विभाग ने ₹8.08 करोड़ का भुगतान किया था। प्रतिकूल जलवायु स्थितियों द्वारा हुए पोत गतिविधि में रुकावट तथा नए बिजलीघर के निर्माण में विलंब के कारण चार वर्षों के विलंब के पश्चात् नवनिर्मित बिजलीघर में (जुलाई 2010) नए डी.जी. सेटों को संस्थापित एवं प्रवर्तन में लाया गया था। वर्तमान डी.जी. सेटों के खाली पड़े रहने से बचने के लिए मई 2009 और जून 2013 के मध्य अन्य स्थानों पर या तो स्थानांतरण कर दिया गया था या फिर उन्हें पुराने बिजलीघर पर खाली रखा गया था।

<sup>4</sup>  $\{(1 \times 1000 \text{ के.वी.ए.} + 3 \times 320 \text{ के.वी.ए.}) \times 0.8 \text{ विद्युत फैक्टर}\} / 1000 = 1.57 \text{ मे.वा.}$

<sup>5</sup>  $\{(3 \times 1000 \text{ के.वी.ए.} + 3 \times 320 \text{ के.वी.ए.}) \times 0.8 \text{ विद्युत फैक्टर}\} / 1000 = 3.17 \text{ मे.वा.}$

लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त 2013) से पता चला कि लघु अण्डमान उप प्रभाग के लिए तीन मे.वा. की प्रक्षेपित भविष्य मांग के प्रति जुलाई 2013 तक दर्ज की गई उच्चतम मांग 1.83 मे.वा. थी।

अतः, विद्युत मांग के अवास्तविक परिप्रेक्ष्य के साथ मौजूदा बिजली उत्पादन क्षमता का आंकलन किए बिना तीन नए मे.वा.डी.जी. सेट के प्रापण के अविवेकहीन निर्णय के कारण 33 से लेकर 52 महीनों तक की अवधि के लिए पुराने डी.जी. सेट व्यर्थ पड़े रहे तथा ₹8.08 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ (जनवरी 2014)।

उत्तर में, विभाग ने बताया (जनवरी 2014) कि तीन नए डी.जी. सेटों का प्रापण न्यायसंगत नहीं था किन्तु उस समय यह समझ नहीं आया था। यह उत्तर इस तथ्य के विपरीत था कि “पूर्ण रिकॉन विनिमय” योजना हेतु अनुमोदन को प्रशासन द्वारा अप्रैल-मई 2005 में स्वीकृत कर दिया गया था और उसी के लिए अगस्त 2005 में मू.उ.उ. के साथ अनुबंध किया गया था जबकि नए डी.जी. सेटों के लिए आदेश मार्च 2006 में दिया गया था। इस प्रकार, विभाग को इस तथ्य के बारे में पता था कि पुराने डी.जी. सेटों के नवीकरण पर बिजली उत्पादन क्षमता को 3.17 मे.वा. तक बहाल कर दिया जा सकता था।

इस मामले को नवम्बर 2013 में मंत्रालय को सूचित कर दिया गया था, उनका उत्तर मई 2014 तक प्रतीक्षित था।

## पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय

### 19.3 ₹7.50 करोड़ का निष्फल व्यय

एक जलयान, जिसका प्रापण 1997 में ही हुआ था और जिसे 1999 में यात्रियों हेतु उपलब्ध कराया जाना था, को 2006 एवं 2008 के मध्य एक सीमित समय के लिए उपयोग में लाया गया। इसके अधिग्रहण पर किया गया ₹7.50 करोड़ का व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा क्योंकि जलयान 2008 से ही बेकार पड़ा हुआ था एवं जिस उद्देश्य के लिए इसे लाया गया था वह पूरा नहीं हुआ।

कार्गो यातायात में तीव्र वृद्धि के कारण कार्गो जलयानों की संख्या में वृद्धि करने की दृष्टि से, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन (प्रशासन) ने 400 टन कार्गो जलयान का अधिग्रहण प्रस्तावित किया। थल यातायात मंत्रालय ने मैसर्स शालीमार वर्क्स लिमिटेड (निर्माता) से अधिग्रहण को संस्वीकृत (मार्च 1997) किया था।

प्रशासन ने कार्गो जलयान, एम. वी. चुगलम (जलयान) के निर्माण एवं वितरण हेतु निर्माता के साथ एक समझौता (जून 1997) किया। जलयान को फरवरी 1999 में दिया जाना था। जलयान को पोर्ट ब्लेयर में अगस्त 2006 अर्थात् सात वर्ष के विलंब के बाद दिया गया।

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय द्वारा जलयान के निरीक्षण एवं समुद्री जाँच के दौरान कुछ त्रुटियां पायी गयी थीं। तथापि पो.प.से.नि. ने इस शर्त पर कि निर्माता सभी त्रुटियों को सुधारेगा और प्रमाण-पत्र को पुनः सत्यापित करेगा, के आधार पर बेकारी से बचने के लिए जलयान को, ले लिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इसे त्रुटि सुधार की गारंटी एवं प्रमाण पत्रों के पुनःसत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने के पूर्व जलयान ने 02 दिसम्बर 2006 एवं 07 फरवरी 2007 को, केवल दो ही यात्राएं की। त्रुटियों को सुधार लिया गया था तथा प्रमाणीकरण औपचारिकताओं के पूरा होने पर, जलयान को नवम्बर 2007 को चालू कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि, जलयान ने 2006 से 2008 के मध्य केवल 14 यात्राएं की और सितंबर 2008 के बाद, जलयान ने निम्न कारणों से कोई यात्रा नहीं की थी;

- विभिन्न गारंटी कमियों को पूरा नहीं करने और कुछ वैधानिक प्रमाण पत्रों की समाप्ति
- आई.एस.एम. कोड का गैर कार्यान्वयन<sup>6</sup>.
- जलयान के अभियांत्रिकी विभाग में भर्ती के लिए शिक्षित कर्मचारियों की गैर-उपलब्धता
- आई.एस.एम. के कार्यान्वयन हेतु पदासीन अधिकारियों की गैर-उपलब्धता

लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त पाया कि प्रशासन ने जलयानों के विलंबित आपूर्ति हेतु प.क्ष. प्रभारों की राशि निर्धारित करने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया था।

उनके उत्तर में, पो.प.से.नि. ने बताया (जुलाई 2013) कि कमियों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाये गये थे जैसे कि आई.आर.एस. सर्वेक्षक के साथ वैधानिक प्रमाणीकरण के पुनःसत्यापन शुरू किये गये, कर्मचारियों की नियुक्ति की समस्या हेतु डॉ. भी.रा. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, पोर्ट ब्लेयर में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, तथा तकनीकी प्रबंधन की कमियों हेतु, आउटसोर्सिंग के लिए मई 2012 में एक प्रस्ताव रखा गया था। इसके अतिरिक्त, भर्ती एवं तकनीकी प्रबंधन हेतु भा.पो.नि. से भी संपर्क किया गया था और संविदा की शर्तों के साथ उससे अपनी स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया था। भा.पो.नि. ने ₹119.62 लाख प्रति माह का बजट अनुमान प्रस्तुत किया था, जबकि एल.1 द्वारा प्रस्तुत निविदा में उद्धृत दर ₹9.90 लाख थी। मामले को फिर से प्रशासन के पास एक उपयुक्त निर्णय हेतु भेजा गया था।

---

<sup>6</sup> अ.सु.प्र. कोड: अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन कोड का अर्थ जहाजों का सुरक्षित संचालन एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन कोड है।

उत्तर जलयान में कर्मचारियों की भर्ती एवं तकनीकी प्रबंधन को आउटसोर्स नहीं करने के कारणों की व्याख्या नहीं करते, जैसा कई अन्य यात्री जलयानों के मामले में, लंबे समय (सितंबर 2008 से अक्टूबर 2013) से किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निविदा प्रलेखों के ब्यौरे के अनुसार, जलयान के विलंबित आपूर्ति हेतु, परिसमापन क्षतियों (प.क्ष.) प्रभारों के आरोपण की अधिकतम सीमा पाँच प्रतिशत थी, तथापि, करार करते समय प.क्ष. प्रभारों के आरोपण हेतु पांच प्रतिशत की सीमा को हटा दिया गया था। बाद में यह तय किया गया कि पूरे मामले को देखने के लिए और सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया जाए, जिसका सभी शिपयार्डों एवं मालिकों द्वारा पालन किया जा सके। जलयानों की विलंबित आपूर्ति हेतु प.क्ष. की राशि, हालाँकि, प्रशासन द्वारा समिति के गठन के अभाव में तय न की जा सकी।

पो.प.से.नि. द्वारा जलयान को चलाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया तथा इस प्रकार एक जलयान, जिसका 1997 में ही ₹7.50 करोड़ की लागत पर प्रापण किया गया था, के व्यय को निष्फल करते हुए 2006 एवं 2008 की अवधि में सीमित रूप से उपयोग हो सका। जलयान 2008 से ही बेकार पड़ा है और जिस उद्देश्य से इसे अधिप्राप्त किया गया था वह विफल हुआ।

मामला अक्टूबर 2013 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

## निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

### 19.4 निष्फल व्यय

**बिना किसी सम्भाव्यता अध्ययन के एक डीकम्प्रेसन चैम्बर को संस्थापित करने में योजना की कमी के साथ-साथ प्रशासन के अविचारी निर्णय का परिणाम ₹77.15 लाख के निष्फल व्यय में परिणत हुआ।**

योजना आयोग, भारत सरकार ने अण्डमान सागर में डीप सी डाइविंग स्पोर्टों के प्रोत्साहन हेतु एक डीकम्प्रेसन चैम्बर<sup>7</sup> (चैम्बर) की संस्थापना के लिए सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (सु.पु.का.) के अंतर्गत ₹50.00 लाख की राशि संस्वीकृत की (दिसम्बर 2005)। निदेशक (पर्यटन) ने चैम्बर को जी.बी.पंत अस्पताल, पोर्टब्लेयर (अस्पताल) में संस्थापित करने का प्रस्ताव किया (सितम्बर 2006) परन्तु उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई थी क्योंकि स्कूबा<sup>8</sup> डाइविंग केन्द्र वंडूर तथा हैवलॉक जैसे दूर स्थानों पर स्थित थे। निदेशक (पर्यटन) द्वारा (जनवरी 2008) लोक निजी साझेदारी के अंतर्गत चैम्बर को संस्थापित करने हेतु एक अभिरूची अभिव्यक्ति आमंत्रित की थी। तथापि, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। इसके पश्चात, पर्यटन विभाग ने वंडूर में स्कूबा डाइविंग केन्द्र के नवीकरण, संचालन, अनुरक्षण तथा स्थानांतरण (न.सं.अ.स्था.) के साथ परियोजना को मिलाने का निर्णय लिया (अगस्त 2009) तथा तदनुसार प्रस्ताव हेतु अनुरोध आमंत्रित किया गया था (नवम्बर 2009)। तथापि, इस बार भी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप, प्रशासन को न.सं.अ.स्था. की परियोजना से प्रस्ताव को अलग करके अस्पताल में चैम्बर के संस्थापन के पुराने प्रस्ताव पर लौटना था (दिसम्बर 2009)। यह भी निर्णय लिया गया था (मार्च 2010) कि निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं (नि.स्वा.से.) को मामले को संसाधित करना चाहिए। अभिलेखों ने प्रकट किया कि प्राथमिक निविदा नोटिस (अगस्त 2010) को रद्द करने के पश्चात

<sup>7</sup> चैम्बर में लौटते हुए लोगों के लिए मुख्यतः गोताखोर का असामान्य दाब से सामान्य वायुमंडलीय दाब में बिना असंपीड़्य रूग्णता को उभारे, धीरे-धीरे बदला जाता है।

<sup>8</sup> अन्तर्निहित अंतःजलीय श्वसन उपकरण

नि.स्वा.से. द्वारा चैम्बर के संस्थापन हेतु दरे पुनः आमंत्रित की गई थीं (अगस्त-सितम्बर 2010)। आपूर्ति आदेश ₹77.15 लाख की लागत पर सबसे कम बोलीकर्ता मेसर्स बंगाल एनिमेट इंक, कोलकाता (फर्म) को जारी किया गया था (मार्च 2011)।

फर्म ने चैम्बर की आपूर्ति की तथा अस्पताल में संस्थापित किया (दिसम्बर 2011) तथा में फर्म को ₹77.15 लाख जारी (जनवरी 2012) किया गया था।

चैम्बर की संस्थापना के तुरंत पश्चात, फर्म ने सूचित किया (दिसम्बर 2011) कि चैम्बर के प्रभावी संचालन हेतु ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति आवश्यकता थी तथा इंगित किया कि अस्पताल में उपलब्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त थी। यह अस्पताल के औषधि विशेषज्ञ के कथन (मार्च 2012) द्वारा परिपुष्ट था जिसमें यह उल्लेखित था कि रोगी का उपचार करने हेतु चैम्बर को ऑक्सीजन की भारी आपूर्ति की आवश्यकता थी, जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं थी। आगे यह भी बल दिया गया था कि रोगी सुरक्षा हेतु चैम्बर के प्रचालनात्मक पहलू पर विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था क्योंकि रोगोपचार बिना खतरे के नहीं था।

अभिलेखों ने प्रकट किया कि चैम्बर के संस्थापन पर, नि.स्वा.से. ने चैम्बर हेतु चिकित्सा संपीडित वायु प्रणाली के लिए एक निविदा जारी की थी (दिसम्बर 2012)। जिसे बाद में मार्च 2013 को रद्द कर दिया गया। यह पाया गया था कि नि.स्वा.से. ने प्रस्ताव (जून 2013) कि चैम्बर को भारतीय नौसेना, अ.एवं नि. कमान में स्थानांतरित किया जाए। तथापि, प्रस्ताव को पर्यटन विभाग द्वारा सहमति नहीं दी गई थी क्योंकि चैम्बर न केवल डाइविंग समस्याओं हेतु उपयोगी था बल्कि इसे जलने, गैंग्रीन, न भरने वाले घाव, कार्बन मोनोक्साईड जहर आदि के उपचार हेतु भी उपयोग किया जा सकता था जिससे आम जनता के बड़े वर्ग, जो विभिन्न बीमारियों हेतु अस्पताल आते हैं, का उपचार किया जाता है। परंतु तथ्य रहता है कि चैम्बर के उपयुक्त संचालन हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा विशेषज्ञ प्रशिक्षण के मामले का अभी भी निपटान किया जाना था (दिसम्बर 2013)।

प्रशासन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की और बताया (नवम्बर 2013) कि चैम्बर के संस्थापन हेतु कोई औचित्य अध्ययन नहीं किया गया था। उसने यह भी बताया कि नि.स्वा.से. चैम्बर के संचालन तथा अनुरक्षण की आउटसोर्सिंग करने हेतु निविदा आमंत्रित करेगा।

इस प्रकार, बिना किसी सम्भाव्यता अध्ययन के एक डीकम्पैशन चैम्बर को संस्थापित करने में योजना की कमी के साथ-साथ प्रशासन के अविचारी निर्णय का परिणाम ₹77.15 लाख के निष्फल व्यय में हुआ क्योंकि वह अपने संस्थापन से दो वर्षों, वह अवधि जिसके लिए वारंटी लागू थी, तक व्यर्थ पड़ा था। इसके अतिरिक्त, स्कूबा डार्डवरो को जीवन रक्षक उपाय प्रदान करने का प्राथमिक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था।

मामला अक्टूबर 2013 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

### चण्डीगढ़ प्रशासन

#### चण्डीगढ़ आवास बोर्ड

#### 19.5 चण्डीगढ़ आवास बोर्ड द्वारा परिवर्तन शुल्क का अनियमित प्रतिधारण

चण्डीगढ़ आवास बोर्ड ने चण्डीगढ़ सम्पदा कार्यालय की निधियों पर प्राप्त कुल ₹5.60 करोड़ के ब्याज को जमा नहीं किया था तथा इसे अनियमित रूप से अपने खाते में रखा। ब्याज राशि का एफ.डी.आर. में भी निवेश नहीं किया गया था जिसका परिणाम ₹1.80 करोड़ की सीमा तक की राजस्व की हानि में हुआ।

चण्डीगढ़ आवास बोर्ड (च.आ.बो.) को एक योजना<sup>9</sup> के नोडल अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया था, तथा यह 13 जून 2008 तक बना रहा। इसके पश्चात नोडल अभिकरण की भूमिका सम्पदा कार्यालय, सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ को

<sup>9</sup> चण्डीगढ़ योजना 2005 के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र फेस I एवं II में औद्योगिक स्थलों हेतु भूमि उपयोग का वाणिज्यिक गतिविधियों/सेवाओं परिवर्तन

सौंप दी गई थी। योजना के अनुसार औद्योगिकी से वाणिज्यिक गतिविधि में भूमि उपयोग के परिवर्तन हेतु प्लॉट धारकों (आवेदकों) से प्राप्त परिवर्तन शुल्कों को अलग खाते में रखा जाना था तथा इस प्रकार संचित निधियों को अभिकरण की आय के रूप में नहीं गिना जाना था। निधियों को उस पर प्राप्त ब्याज सहित भारत सरकार की स्वीकृति से तैयार किए जाने वाली नियमावली के अनुसार उपयोग किए जाने हेतु “विशेष निधियों” के रूप में रखा जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2013) कि अभिकरण ने परिवर्तन शुल्क के रूप (13 जून 2008 तक) ₹166.46 करोड़ एकत्रित किए। इसमें से ₹5.16 करोड़ उन आवेदकों को वापस किए गए थे जिनके आवेदन या तो रद्द कर दिए गए थे या फिर बाद में उनके द्वारा वापस ले लिए गए थे। आगे, च.आ.बो. ने सरकारी खजाने में ₹118.04 करोड़ जमा किए तथा ₹43.26 करोड़ की अतिरिक्त राशि को सम्पदा कार्यालय को नोडल अभिकरण के रूप में अधिसूचित किए जाने पर उनको अंतरित किए (जुलाई 2008)।

अभिकरणों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि च.आ.बो. ने खजाने में जमा कराने से पहले परिवर्तन शुल्क को वर्ष 2006-2008 के दौरान एफ.डी.आर. के रूप में विभिन्न बैंकों में रखा। इन एफ.डी.आर. पर च.आ.बो. ने जुलाई 2008 तक ₹5.60 करोड़ की सीमा तक ब्याज प्राप्त किया जिसे मार्च 2009 को तुलन पत्र में ‘देय’ के रूप में दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि च.आ.बो. के अनुवर्ती वर्षों के तुलन पत्र (मार्च 2013) में इसे देय के रूप में दर्शाना जारी रखा। इस प्रकार, च.आ.बो. द्वारा प्राप्त ब्याज की राशि को चार वित्तीय वर्षों की अवधि की समाप्ति पश्चात भी न तो कोष में जमा किया और न ही सम्पदा कार्यालय को अंतरित किया। इसके अतिरिक्त, ब्याज राशि का एफ.डी.आर. में भी निवेश नहीं किया गया था जिसका परिणाम ₹1.80 करोड़<sup>10</sup> की सीमा तक राजस्व की हानि में हुआ।

<sup>10</sup> ब्याज: ₹5.60 करोड़x8.05 (सरकार की ऋण दर)/100=₹45.09 लाखx 4वर्ष=₹1.80 करोड़

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जनवरी 2014) च.आ.बो. ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि वित्त सचिव, सं.शा.क्षे., चण्डीगढ़ को सूचित (दिसम्बर 2009 तथा दिसम्बर 2010) किया गया था कि ब्याज राशि को च.आ.बो. द्वारा इसलिए रखा गया था क्योंकि यह आयकर विभाग के पास लंबित निर्धारण मामलों के परिणाम के तहत था। च.आ.बो. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परिवहन नीति के अनुसार परिवर्तन शुल्क की संचित निधियों को अभिकरण की आय के रूप में नहीं माना जाना था तथा यह भा.स. द्वारा स्वीकृत किए जाने वाली नियमावली के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उपयोगों के लिए थीं।

इस प्रकार, अनाचरण का परिणाम च.आ.बो. द्वारा चार वित्तीय वर्षों से अधिक के लिए ₹5.60 करोड़ के अनियमित प्रतिधारण तथा एफ.डी.आर. में निधियों के गैर-निवेश के कारण ₹1.80 करोड़ की राजस्व हानि में हुआ।

मामला नवम्बर 2013 को वित्त सचिव, चण्डीगढ़ प्रशासन को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर मई 2014 तक प्रतीक्षित था।